न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 35/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/42

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– निलेश पुत्र श्री कनकमलजी जैन मैसर्स – मयंक मिष्ठान भण्डार, नये बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27–06–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 07–06–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22–03–2022 को 05.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – मयंक मिष्ठान भण्डार, नये बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **निलेश पुत्र श्री कनकमलजी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा) के 30 पैक बोतल** 2.25–2.25 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा) के चार पैक मूल बोतल** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 760 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा) के चारो पैक बोतल मूल** को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमुना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर ... अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा ... खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:05 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/147–148 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक

जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 405 दिनांक 04–04–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा)** का नमुना मिथ्याछाप Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09–06–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थी की ओर से श्री रवि पुरी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त एवं उनके अभिभाषक को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 147–148 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 405 दिनांक 04–04–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा)** का नमुना मिथ्याछाप Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **कार्बोनेटेड वॉटर (ब्राण्ड मीरीन्डा)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **निलेश पुत्र श्री कनकमल जैन मैसर्स – मयंक मिष्ठान भण्डार, नये बस स्टेण्ड के सामने, बॉसवाडा को रूपये 10,000/-**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:05 IST
Reason: SelfAttested

10,000/– (**अक्षरे रू दस हजार मात्र**) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:05 IST
Reason: SelfAttested